

27 $\frac{08}{18}$

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। जिला पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आदेश लगाकर यह मुंठकिली शर्मा पत्र पेश किया गया है उनका स्वातंत्र्य अन्ततः हो गया है एवं दूसरे पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। अतः यह शर्मा पत्र मुंठकिली, ~~का~~ प्रभाव हीन हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली केसल सुमार होकर बाद तकनील दाखिल दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
करोली